न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 144/2019

GCMS NO. : 2019/00166

–: वादी :–

1. धर्मीचन्द पुत्र छोगाराम जाति कुमावत निवासी– बलून्दा तहसील जैतारण जिला पाली राज0

बनाम

–: प्रतिवादीगण :–

1. तहसीलदार जैतारण जिला– पाली (राज)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 भू राजस्व अधिनियम 1955.

तारीख रजू:.11/07/2019

उपस्थितः– 1. श्री महेन्द्र प्रजापत बलुन्दा, अधिवक्ता वादी।

2. तहसीलदार जैतारण, सरकारी पैरोकार राज0।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 05/05/2022**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 भू राजस्व अधिनियम 1956. के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि वादी की पैतृक पुश्तेनी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा बलून्दा पटवार बलून्दा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आ0कालू तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में खसरा संख्या 1549 रकबा 94 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 1550 रकबा 08–06 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 1551 रकबा 02–09 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 1552 रकबा 29–04 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 1554 रकबा 02–15 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 1555 रकबा 33–17 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 1556 रकबा 01–07 बीघा किस्म गै0मु0 बेरा, खसरा नम्बर 1557 रकबा 0–15 बीघा गै0मु0 बेरा, खसरा नम्बर 1558 रकबा 50–18 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 1559 रकबा 0703 बीघा किस्म गै0मु0 बेरा, खसरा नम्बर 1560 र कबा 31–15 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1561 रकबा 50–09 बीघा किस्म बारानी अव्वल, कुल खसरा 12 रकबा 305–18 बीघा व खसरा नम्बर 1788 रकबा 11–04 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1789 रकबा 04–17 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1790 रकबा 12–06 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 2133 रकबा 17–15 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 2204 रकबा 07–00 बीघा किस्म बारानी अव्वल कुल खसरा 05 कुल रकबा 53–02 बीघा की कृषि भूमि आई हुई है। जिसमें वादी अपने ह[illegible] अनुसार मौके पर काबिज काश्तकार एवं खातेदार राजस्व रेकर्ड [illegible] जमाबन्दीयां साथ पेश है। उक्त सम्पति वादी के पिता छोगाराम [illegible] होने पर फौतेदगी [illegible]न्तरण में वादी के लाड़ प्यार के एवं घर में बोलचाल की भा[illegible] में लिये जाने [illegible]रमा पुत्र छोगा के नाम से नामान्तरण दर्ज कर दिया गया है। जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम एवं दस्तावेजी नाम धर्मीचन्द पुत्र छोगाराम है जो वादी के राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:51:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

प्रकार द्वारा जारी राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स आदि में भी वादी का नाम धर्मीचन्द पुत्र छोगाराम दर्ज है जो वादपत्र के साथ संलग्न है। जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। इस प्रकार वर्णित नामान्तरण के साथ दर्ज राजस्व रेकर्ड मानवीय त्रुटि व रोंग एन्ट्री है जो आज दिन तक राजस्व रेकर्ड में चल रही है तथा इस रोंग एन्ट्री की जानकारी दिनांक 02.07.2019 को होने पर पटवारी हल्का से सम्पर्क करनें पर पता चला तो पटवारी हल्का ने उक्त रोन्ग एन्ट्री को न्यायालय से दुरस्त करवाने का कथन किया जिसके सम्बन्ध में वादी की पैतृक पुश्तैनी सम्पति में उक्त रोन्ग एन्ट्री एवं रेकर्ड दुरुस्त करवाने के अधिकारी होने से यह वादपत्र बाबत् घोषणा का विरूद्ध प्रतिवादी के पेश है। वादी का नाम जो राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज किया गया है जिसको हटाने एवं राजस्व रेकर्ड में वादी अपना सही एवं वास्तविक व दस्तावेजी नाम धर्मीचन्द पुत्र छोगाराम दर्ज करने एवं इन्द्राज करवाने का अधिकारी होने से उक्त वादपत्र श्रीमान् के समक्ष पेश हैं। वादी को आये दिन उक्त रेकर्ड को लेकर अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा सरकारी एवं गैरसरकारी योजनाओं से फायदा नहीं उठा पा रहा है न ही ऋण आदि किसानकार्ड बन रहा है जिस पर सहखातेदारों से सम्पर्क किया तो उन्होंने मोके पर कब्जे काश्त एवं अपने नाम की रेकर्ड दुरुस्त करवाने का कथन किया इसलिये सहखातेदारों के विरूद्ध किसी प्रकार की इस्तदुआ नहीं चाही गई है। इसलिए उनको इस वादपत्र में प्रतिवादी पक्षकार समयोजित नहीं किया गया है। प्रतिवादी राज्य सरकार का प्रतिनिधि है एवं तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर हैं। इनके विरूद्ध वादपत्र पेश करनें से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु वाद आवश्यक प्रकृति का है तथा नोटिस देने में समय लगेगा तब तक वाद करनें का मकसद विफल हो जायेगा इसलिये बिना नोटिस दिये ही वादपत्र प्रस्तुत करनें की अनुमति बाबत् धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थनापत्र वादपत्र के साथ पेश है। बिनाय वाद दिनांक 02.07.2019 को पटवारी हल्का से सम्पर्क करनें एवं उसके द्वारा न्यायालय से आदेश लाने बाबत् कथन करनें एवं न्यायालय आदेश से ही रेकर्ड दुरुस्त करनें एवं उक्त रोंग एन्ट्री हटाने का कथन करनें पर बमुकाम बलून्दा तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में पैदा हुआ जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से श्रीमान् के समक्ष पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण ने हस्तगत प्रकारण में तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुये यह कथन किया है राजस्व मौजा बलुन्दा तहसील जैतारण जिला पाली राज0 की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के अनुसार खसरा नम्बर 1549, 1550, 1551, 1552, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561 व 1788, 1[illegible], 1790, 2133, 2204 में प्रार्थी सहखातेदार के रूप में दर्ज है, जो कि [illegible] प्रार्थी के पिता के फौत होने पर विरासत का नामान्तरण दर्ज करते [illegible] प्रार्थी का नाम धरमा पुत्र छोगा दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी के परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम धर्मीचन्द पुत्र छोगाराम है। अतः उपरोक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम धरमा पुत्र छोगा के स्थान पर धर्मीचन्द पुत्र छोगाराम दुरुस्त किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:51:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण जिला-पाली

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है :-

1. वादी द्वारा हस्तगत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी की पैतृक पुश्तैनी कब्जे काश्त की ग्राम बलून्दा तहसील जैतारण में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1549, 1550, 1551, 1552, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561 व 1788, 1789, 1790, 2133, 2204 में वादी सहखातेदार दर्ज है। वादी के पिता छोगाराम के फौत होने पर फौतेदगी नामान्तरण में वादी का बोलचाल की भाषा में लिया जाने वाला नाम धरमा पुत्र छोगा के नाम से दर्ज कर दिया गया। जबकि वादी का सही, वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम धर्मीचन्द पुत्र छोगाराम है। अतः राजस्व रेकर्ड में दर्ज रोंग एन्ट्री/ मानवीय भूल को दुरूस्त कर वादी का सही, वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम धर्मीचंद पुत्र छोगाराम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

2. प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण ने जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बलून्दा तहसील जैतारण की वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या खसरा नम्बर 1549, 1550, 1551, 1552, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561 व 1788, 1789, 1790, 2133, 2204 में वादी सहखातेदार के रूप में दर्ज है। वादी के पिता के फौत होने पर विरासत का नामान्तरण दर्ज करते वक्त वादी का नाम धरमा पुत्र छोगा दर्ज कर दिया जबकि वादी का विभिन्न सरकारी दस्तावेजो में सही नाम धर्मीचंद पुत्र छोगाराम है। यह सही है कि उपरोक्त कृषि भूमि में वादी का नाम धरमा पुत्र छोगा के स्थान पर धर्मीचन्द पुत्र छोगाराम दर्ज किया जाना उचित है। सरपंच बलून्दा एवं पटवारी बलून्दा की फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार मजमे आम में जांच करने पर पाया कि धरमा पुत्र छोगा जाति कुमावत निवासी बलून्दा का वास्तविक नाम धर्मीचन्द पुत्र छोगाराम जाति कुमावत है। तथा धरमाराम एवं धर्मीचन्द दोनो एक ही व्यक्ति है।

3. वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी संवत 2073 प्रदर्श 1 एवं प्रदर्श 2 के अनुसार वादग्रस्त आराजी में उगमा धरमा लिछमण पि0 छोगा 1/5 दर्ज है। वर्तमान जमाबंदी में भी वादी का नाम धरमा पुत्र छोगा दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 3 ग्राम बलून्दा का परिवार राशन कार्ड, प्रदर्श 4 ड्राईविंग लाईसेंस, प्रदर्श 5 पैन कार्ड, प्रदर्श 6 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र तथा प्रदर्श 7 आधार कार्ड में धर्मीचन्द पुत्र छोगाराम दर्ज है। वादी [illegible] वादी धर्मीचन्द पुत्र छोगाराम द्वारा शपथ पत्र पर वादपत्र में अंकित कथनो [illegible] वांछित अनुतोष का समर्थन किया है। हमारा यह भी अभिमत है कि [illegible] धरमा, छोगा आदि प्रचलित नाम बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के भू अभिलेख में [illegible] से दर्ज रहे है। जिन्हे सुधारा जाकर वास्तविक एवं पूर्ण नाम दर्ज किया जाना विधिसंगत है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र बखूबी साबित होता है तथा वादग्रस्त आराजी में दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:51:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला पाली

प्रविष्टि धरमा पुत्र छोगा को विलोपित करते हुए इसके स्थान पर खातेदार के सही नाम धर्मीचन्द पुत्र छोगाराम दर्ज कर धर्मीचन्द पुत्र छोगाराम को अपने हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए वादपत्र को डिक्री किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

–:: *आदेश* ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बलून्दा पटवार हल्का बलून्दा भू अभिलेख निरीक्षक आ0कालू तहसील जैतारण जिला पाली राज0 के खसरा संख्या 1549 रकबा 94 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 1550 रकबा 08–06 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 1551 रकबा 02–09 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 1552 रकबा 29–04 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 1554 रकबा 02–15 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 1555 रकबा 33–17 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 1556 रकबा 01–07 बीघा किस्म गै0मु0 बेरा, खसरा नम्बर 1557 रकबा 0–15 बीघा गै0मु0 बेरा, खसरा नम्बर 1558 रकबा 50–18 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 1559 रकबा 0703 बीघा किस्म गै0मु0 बेरा, खसरा नम्बर 1560 र कबा 31–15 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1561 रकबा 50–09 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1788 रकबा 11–04 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1789 रकबा 04–17 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1790 रकबा 12–06 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 2133 रकबा 17–15 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 2204 रकबा 07–00 बीघा किस्म बारानी अव्वल में बतौर खातेदार दर्ज वादी के त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध नाम की प्रविष्टि ***''धरमा पुत्र छोगा''*** को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम ***''धर्मीचन्द पुत्र छोगाराम''*** दर्ज करते हुये वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 05/05/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:51:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

–: वादी :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
धर्मीचन्द पुत्र छोगाराम जाति कुमावत निवासी– बलून्दा तहसील जैतारण जिला पाली राज०		1. तहसीलदार जैतारण जिला– पाली (राज)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

मु0न0 :रा0वा0स0:– 144/2019

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री महेन्द्र प्रजापत बलून्दा, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व तहसील जैतारण सरकारी पैराकार प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बलून्दा पटवार हल्का बलून्दा भू अभिलेख निरीक्षक आ0कालू तहसील जैतारण जिला पाली राज0 के खसरा संख्या 1549 रकबा 94 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 1550 रकबा 08–06 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 1551 रकबा 02–09 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 1552 रकबा 29–04 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 1554 रकबा 02–15 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 1555 रकबा 33–17. बीघा किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 1556 रकबा 01–07 बीघा किस्म गै0मु0 बेरा, खसरा नम्बर 1557 रकबा 0–15 बीघा गै0मु0 बेरा, खसरा नम्बर 1558 रकबा 50–18 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 1559 रकबा 0703 बीघा किस्म गै0मु0 बेरा, खसरा नम्बर 1560 र कबा 31–15 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1561 रकबा 50–09 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1788 रकबा 11–04 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1789 रकबा 04–17 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1790 रकबा 12–06 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 2133 रकबा 17–15 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 2204 रकबा 07–00 बीघा किस्म बारानी अव्वल में बतौर खातेदार दर्ज वादी के त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध नाम की प्रविष्टि ***"धरमा पुत्र छोगा"*** को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम ***"धर्मीचन्द पुत्र छोगाराम"*** दर्ज करते हुये वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:51:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 05/05/2022 को जारी किया गया।

माफिक

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर जैतारण जिला पाली

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	05	00	महनताना वकील		
महनताना वकील	—		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	02	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	10	00	मिजानः-	—Nil—	

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:51:34 IST
Reason: SelfAttested